सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 17/2016

रघुनाथ पुत्र हणुता मीना उम्र 80 साल जाति मीना निवासी काली पहाडी तहसील व जिला दौसा ..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
2. उपखण्ड अधिकारी, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
3. विकास अधिकारी, दौसा पंचायत समिति दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
4. सरपंच ग्राम पंचायत काली पहाडी तहसील दौसा जिला दौसा
5. रामधन पुत्र मांगीराम बैरवा जाति बैरवा निवासी खोहरा वाली ढाणी तहसील व जिला दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू—आवण्टन नियम—1970

उपस्थिति—1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

दिनांक: 06.12.2017

निर्णय

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.06.1989 को **ग्राम काली पहाडी** तहसील दौसा के आ0ख0न0 1898/5 रकबा 1.25 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी रामधन को किया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि दिनांक 15.06.1989 को **ग्राम काली पहाडी** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1898/6 रकबा 1.25 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी रामधन को किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी अपील मीमों में 50 वर्षो से कब्जा होना कहकर आये है और नियमन करने के आदेश प्रदान करने हेतु इस्तदुआ की है। साथ ही अप्रार्थी के फौत होने का रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद न तो प्रार्थी उपस्थित हुए और न ही कायम मुकामान पेश किया गया जो अवधिपार हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।

प्रार्थी उपस्थित नहीं है। गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी अपील मीमों में 50 वर्षो से कब्जा होना बताया जाकर नियमन करने के लिए प्रा0 पत्र पेश किया गया है। चूँकि न्यायालय द्वारा नियमन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रा0 पत्र पर विचार करना उचित नहीं समझते है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति से भी हम सहमत है कि प्रार्थी को समयावधि में कायम मुकामान पेश करने चाहिए थे किंतु उन्होनें ऐसा नहीं किया । प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे स्पष्ट होता है कि वे प्रकरण को देरीना करने की गरज से चला रहे है। जिसका कोई प्रयोजन नहीं है तथा यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 15.06.1989 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक: 06 दिसम्बर,2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा